मंत्री मूलचंद के घर से चंद किलोमीटर पर अरावली में हो रही माइनिंग

सत्तारूढ़ होने के बाद बहुत जोर-शोर से खनन माफिया को खत्म करने की बात कही थी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के घर से चंद किलोमीटर के फासले पर इन दिनों अरावली के फरीदाबाद और गुड़गांव जोन में जबरदस्त माइनिंग हो रही है, लेकिन मंत्री को बयान देने और धार्मिक समारोहों में हिस्सा लेने से ही फुरसत नहीं मिल रही। मजदूर मोर्चा के पाठकों को वह फोटो याद होगा, जब मूलचंद को माइनिंग विभाग मिला तो वो अगले ही दिन गुड़गांव-फरीदाबाद रोड पर डंपरों की जांच करने जा पहुंचे थे और बड़े पैमाने पर डंपरों को रोक लिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वे अवैध खनन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लेकिन यह सिर्फ बयान रहा, लॉकडाउन का फायदा उठाकर खनन माफिया अरावली में सक्रिय हो गया।

अरावली के दुश्मन

अरावली में एक तरफ तो वन विभाग की जमीन पर फरीदाबाद और गुड़गांव में अवैध फॉर्म हाउस खड़े कर दिए गए तो दूसरी तरफ अरावली की पत्थर खदानों में खनन भी जबरदस्त बढ़ा है। अरावली बचाओ सिटीजन ग्रुप ने पंडाला हिल्स की सैटेलाइट मैपिंग के जरिए बताया कि 2016 में यहां पर किसी तरह की माइनिंग नहीं हो रही थी। लेकिन 2017 से यहां बराबर माइनिंग हो रही है जो 2021 में भी जारी है। अरावली सिटीजंस ग्रुप के आग्रह पर पुलिसकर्मी अरावली फारेस्ट के अंदरुनी हिस्सों में गए और अपने आंख से माइनिंग के सबूत जमा किए। दरअसल, अरावली बचाओ सिटीजंस ग्रुप ने इस संबंध में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पत्र लिखा था। उसके बाद चौटाला ने संबंधित इलाकों की पुलिस को मौके पर जाने और सबूत जुटाने को कहा था। उसके बाद पुलिस अब कई इलाकों में जा रही है। पर्यावरणवादी नीलम आहलूवालिया का कहना है कि अरावली में अवैध माइनिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी है। अदालत ने यहां माइनिंग पर रोक लगा रखी है। हालांकि हरियाणा सरकार की एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें मांग की गई है कि हमें अरावली में खनन करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को मार्च 2021 में इसकी सुनवाई करनी थी लेकिन कोरोना की वजह से सुनवाई अभी लंबित ही चल रही है।

गुड़गांव में ज्यादा तबाही

फरीदाबाद के मुकाबले गुड़गांव में अरावली जोन में ज्यादा तबाही है। 22 जून को भोंदसी पुलिस इलाके के अरावली क्षेत्र में कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। यह इलाका अरावली पाथवेज स्कूल के बिल्कुल पास है। लेकिन वहां जाने के बाद पुलिस वालों ने इसे तावडू और नूंह (मेवात) का इलाका बताया। गुड़गांव पुलिस ने उस इलाके में अरावली के जंगल से एक ट्रैक्टर ट्राली को निकलते देखा। इस पर बदरपुर रेत लदा हुआ था। इसे वहां माइनिंग के जरिए निकाला गया था। इसका इस्तेमाल भवन निर्माण सामग्री के साथ होता है। पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना फौरन गुड़गांव के डीसी को दी। अरावली में हो रही तबाही के लिए अरावली बचाओ सिटीजंस ग्रुप ने फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को भी ईमेल भेजा था। लेकिन फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने अपने इलाके के अरावली जोन में अवैध खनन की रिपोर्ट लेने पुलिसकर्मियों को नहीं भेजा। लेकिन फरीदाबाद के अरावली जोन में अवैध खनन के बाद रेत को ऊंटो के जरिए पहाड़ी रास्तों से भेजा जा रहा है। इस संबंध में कई फोटो और वीडियो सामने आ चुके हैं लेकिन फरीदाबाद पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

मरुस्थल नजदीक आ रहा है

पर्यावरणवादी नीलम आहलूवालिया ने बताया कि माइनिंग की वजह से राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अरावली की 12 ऐसी चोटियों की पहचान की गई है, जिनके खत्म होने से राजस्थान का मरुस्थल धीरे-धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रहा है, जिसे महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने अरावली में खनन पर रोक नहीं लगाई तो एक दिन यह इलाका रहने लायक नहीं बचेगा। हालांकि अरावली में प्राकृतिक तालाब और गड्ढे हैं, जिनमें बारिश का पानी जमाकरके दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में लाखों लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। गर्मी के मौसम में इन तीनों शहरों में पेयजल की समस्या गंभीर हो जाती है लेकिन सरकार का ध्यान इस प्राकृतिक संपदा पर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अवैध खनन को वैध करार देने की अर्जी मंजूर कर ली तो अरावली में अनर्थ होना तय है।

बता दें कि 800 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। इसमें 20 वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरीज हैं और थार मरुस्थल को रोकने के लिए अरावली पहाड़ियां सीने की चट्टान का काम करती हैं। लेकिन अब सबकुछ बदल रहा है। लगातार खनन से अरावली की पहाड़ियों से पेड़-पौधे और जंगली जानवर खत्म होते जा रहे हैं।

वीएचपी नेता ने ग्रेटर फरीदाबाद में काटी अवैध कॉलोनी, लेकिन कार्रवाई कोई क्यों करे

नहर पार खेड़ी रोड पर न्यू भारत कॉलोनी बसाने के पीछे राजनीतिक लोग

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद में लॉकडाउन का फायदा उठाकर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इस कॉलोनी में चूंकि विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े नेता शामिल हैं तो प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह की कार्रवाई से बच रहे हैं। सभी की नजर खोरी पर लेकिन शहर में तमाम जगहों को खोरी बनने से रोका नहीं जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक खेड़ी रोड पर अमोलिक सोसाइटी के सामने और आरपीएस सवाना सोसाइटी के पास न्यू भारत कॉलोनी में बड़े पैमाने पर मकान बन गए हैं। न्यू भारत कॉलोनी में पिछले साल नगर निगम फरीदाबाद ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की थी। उसके बाद यहां प्लाटिंग और मकानों का बनना रुक गया था। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन का फायदा उठाकर यहां बड़े पैमाने पर मकान खड़े कर दिए गए।

एमसीएफ ने पिछले साल जब यहां तोड़फोड़ की थी तो उस समय प्लॉट बेचने और बनवाने में किसी गोयल नामक प्रॉपर्टी डीलर का नाम आया था। ओल्ड फरीदाबाद निवासी गोयल विश्व हिन्दू परिषद से जुड़ा हुआ है। एमसीएफ अफसरों ने गोयल नामक इस भूमाफिया की पहचान कर ली थी लेकिन उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। नाम न छापने की शर्त पर एफसीएफ अफसरों ने बताया कि जिस समय वहां तोड़फोड़ हो रही थी तो ऊपर से दबाव पड़ने पर हम लोगों को तोड़फोड़ की कार्रवाई बीच में छोड़कर चले आना पड़ा था। अगर उस समय सख्ती की गई होती तो अब जो पूरी कॉलोनी बनकर तैयार हो गई है, वह स्थिति नहीं आती।

न्यू भारत कॉलोनी में मकान बनाकर रह रहे लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद और संघ से जुड़े लोगों से जमीन खरीदी थी। उस समय उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार है, यहां कभी भी तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन अब खोरी में जो हो रहा है, उससे हम लोग बहुत डर गए हैं। उन लोगों ने कहा कि यहां पर सस्ती जमीन मिलने की वजह से हमने खरीदी और अब एक-दो कमरे बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं।

पिछले दिनों डीटीपी ने सुरूरपुर, वजीरपुर समेत कई स्थानों पर बनी अवैध कॉलोनियों को तोड़ दिया था लेकिन उसने न्यू भारत कॉलोनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। किस कॉलोनी को कौन सा विभाग तोड़ेगा, इसे लेकर भी कई बार पसोपेश रहता है। कई बार हूडा एमसीएफ पर जिम्मेदारी डाल देता है तो कई बार एमसीएफ डीटीपी पर जिम्मेदारी डाल देता है। इस वजह से भी कई बार कच्ची कॉलोनियां नहीं टूट पातीं। लेकिन छानबीन से यह साफ हुआ कि न्यू भारत कॉलोनी को सिर्फ विश्व हिन्दू परिषद के नेता की वजह से छोड़ दिया गया। इसी तरह कांग्रेस शासनकाल में ओल्ड फरीदाबाद के ही एक व्यापारी ने ग्रेटर फरीदाबाद में कई कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग की थी। वो कॉलोनियां भी कांग्रेस शासनकाल में कभी नहीं टूटीं।

इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला लड़ सकते हैं चुनाव

करनाल(ममो) जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में मिली सजा पूरी कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। एक याचिका दायर करने पर चुनाव आयोग उनको राहत दे सकता है। चुनाव न लड़ पाने की अवधि को आयोग कम कर सकता है या चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को पूरी तरह खत्म कर सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(1) के अनुसार, रिहाई से 6 साल की अवधि तक यानी जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन, चौटाला के पास उक्त कानून की धारा-11 के तहत अपनी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को कम करने या खत्म करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है।

सितंबर 2019 में आयोग ने सिक्किम के वर्तमान सीएम प्रेम सिंह तमांग के चुनाव लड़ने के लिए लगी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को घटाकर एक वर्ष एक माह कर दिया था। वे भी भ्रष्टाचार में दोषी ठहराए गए थे।

चर्चा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के वक्त चौटाला की रिहाई इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगी, वहीं कानूनी तौर पर ऐसा संभव नहीं है। ओपी चौटाला सक्रिय राजनीति नहीं कर पाएंगे। दरअसल, जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि सजा पूरी करने के बाद छह वर्ष तक संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा। यह प्रावधान भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक कानून और सती निरोधक कानून के तहत सजायाफ्ता व्यक्तियों पर भी लागू होता है। पहले इस कानून में सजा सुनाए जाने के 6 साल बाद तक यह पाबंदी लागू होती थी, लेकिन 2002 में कानून में बदलाव हुआ और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक भी अयोग्य ही माने जाने संबंधी प्रावधान लाया गया।

जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि 60 साल या उससे अधिक के ऐसे पुरुष कैदियों, जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस नियम के आधार पर याचिका दायर की थी कि उनकी 5 साल से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है। उनकी उम्र भी 89 साल है। वह अप्रैल 2013 में 60 फीसदी दिव्यांग हो चुके थे और जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद से वह 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं। इस तरह से वे केंद्र सरकार द्वारा तय की गई जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए अब उनकी सजा माफ की जाए। इसी नियम के तहत उन्हें रिहाई दी जा रही है।